चारधाम यात्रा के दौरान यातायात नियमों के उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध चमोली यातायात पुलिस ने की ताबड़तोड कार्यवाही।

पर्वतीय जनपद चमोली में चारधाम यात्रा के दौरान यातायात व्यवस्था को सुगम एवं सुरक्षित बनाना पुलिस अधीक्षक चमोली श्री सर्वेश पंवार (IPS) महोदय की विशेष प्राथमिकताओं में से एक है, जिसके क्रम में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के विरूद्ध सख्त कार्यवाही करते हुए समस्त थाना प्रभारियों व यातायात निरीक्षक को यातायात नियमों के उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के विरूद्ध मोटर वाहन अधिनियम के तहत वृहद स्तर पर कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया है।

आज दिनांक 17.05.24 को यातायात उपनिरीक्षक दिगंबर उनियाल द्वारा चारधाम यात्रा मार्ग पर सघन चेकिंग अभियान चलाते हुए ओवर स्पीड, रैश ड्राइविंग, नो पार्किंग, मोडिफाईड साइलेंसर, बिना सीट बेल्ट, दोषपूर्ण नम्बर प्लेट, वाहन के शीशे पर प्रतिबन्धित ब्लैक फिल्म चढाने व मोबाइल फोन पर बात करने आदि यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले कुल 47 वाहन चालकों पर एम0वी0 एक्ट के तहत चालानी कार्यवाही करते हुए 28,500/-रूपए का संयोजन शुल्क वसूला गया।

वाहन चालकों को पहाड़ी मार्ग पर अधिक सतर्कता व धीरे वाहन चलाने तथा यातायात के नियमों का पालन करने की हिदायत दी गयी, साथ ही रात्रि के समय होने वाली दुर्घटनाओं से बचने लिए वाहनों पर रिफ्लेक्टर लगाये गये। यातायात के नियमों का उल्लघन करने वालों के विरूद्ध चमोली पुलिस का अभियान आगे भी जारी रहेगा।